

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

<p>तारीख हुकम</p>	<p>219 2011</p> <p>द्वारा पासित / करवासा हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए</p>
<p>19/1/18</p>	<p>पयावली प्रकृत हुई। अधिवक्ता कपीलावती उपाक्षित नहीं हुये। उन्हे बार-बार लगातार झावाते लगावारी गली, लेकिन वे कठुपाक्षित ही रहे। कपीलावती एवं भी कठुपाक्षित शह। फलतः कपीलावती कपीलावती कडम पेशी व कडम दायरी में खारिज व जाती है। तदनुसार पयावली फंसल शुभार होकर बास तकनील दायरील इकर ही</p>	